इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 18 जून 2019—ज्येष्ठ 28, शक 1941

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जून 2019

क्रमांक-एफ-06-01-2019-तीन-जेल.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का 9) की धारा 36-क के साथ पठित धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश प्रिजन्स रूल्स, 1968 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 647-क का लोप किया जाए.

2. नियम 647-ख में उप-नियम (3) में,—

(1) खण्ड (क) तथा (ख)के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

"(क) बंदी द्वारा उपार्जित मजदूरी का 50% भुगतान उप-नियम (4) के अनुसार किया जाएगा;

(ख) बंदियों को देय मजदूरी का शेष 50% पीड़ित प्रतिकर योजना में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जमा किया जाएगा;".

(2) खण्ड (ग) तथा (घ) का लोप किया जाए.

No. F-06-01-2019-3-Jail.—In exercise of the powers conferred by Section 59 read with Section 36-A of the Prisons Act, 1894 (No. IX of 1894), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Prisons Rules, 1968, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. Rule 647-A shall be omitted.

2. In rule 647-B, in sub-rule (3),—

(1) for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(a) 50% of the wages earned by a prisoner shall be paid in accordance with sub-rule (4);

(b) Remaining 50 % of the wages payable to prisoners shall be deposited in Victim Compensation Scheme as per guidelines issued by the State Government from time to time ;".

(2) Clause (c) and (d) shall be omitted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव चन्द्र दुबे, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.